

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:-ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / टी-596 / 2018 /

दिनांक:-

आदेश

श्री टीकम चन्द शर्मा, नर्स द्वितीय, राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के माध्यम से स्वयंपाठी छात्र के रूप में एम.ए. (समाजशास्त्र) कोर्स करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. कोर्स/परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर।

क्रमांक:-ई-11 / नर्सिंग / नर्स-2 / टी-596 / 2018 / 801

दिनांक:-04/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा।
- 2- संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर।